

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-340/2019

दिनेश रोलर फ्लोर मिल्स प्रा० लिमिटेड

..... याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड और अन्य

..... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगॉन मुखापाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए : श्री एम०एस० मित्तल, वरिष्ठ अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए : श्री नवीन कुमार, अधिवक्ता

02/11.06.2019 श्री एम०एस० मित्तल, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री नवीन कुमार, उत्तरदाताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुना।

त्रुटि सं०-2 को छोड़कर कार्यालय द्वारा बताए गए त्रुटियों को दूर कर दिया गया है, जिसके लिए याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा एक पूरक हलफनामा दायर किया जा रहा है।

यह रिट आवेदन डब्ल्यू०पी० (सी०) सं०-4497/2004 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2019 के आदेश में संशोधन के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल की गई है।

याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया है कि फाइल खो जाने के वजह से ड्राफ्ट चार सप्ताह की अवधि के भीतर जमा नहीं किया जा सकता है जैसा कि 06.03.2019 के आदेश में बताया गया है।

चूंकि इस आवेदन में पर्याप्त कारण बताए गए हैं, इसलिए डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-4497/2004 में पारित आदेश दिनांक 06.03.2019 को संशोधित किया जाता है और 16,800/- रुपये की ड्राफ्ट को जमा करने की अवधि को आज से चार सप्ताह की आगे की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

यह आवेदन डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0-4497/2004 में पारित दिनांक 06.03.2019 के आदेश में पूर्वोक्त संशोधन के साथ निपटाया गया है।

(रेंगॉन मुखोपाध्याय, न्याया0)